

कार्यालय अंचल अधिकारी

कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

अनुसूचि 14 कायम 18821

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०..... से..... तक

जिला..... सं०..... 143 सन 2023-23

केस का प्रकार :- रैयती भूमि का RS में जमाबंदी अद्यतन हेतु।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई के टिप्पणी सहि								
1	2	3								
06.2.23	आवेदक/आवेदिका..... श्री. राजेश कुमार शर्मा..... शाना..... लातेहार पिता/पति..... श्री. राजेश कुमार शर्मा..... साकिन..... लातेहार जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जो निम्न है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>खाता नया/पुराना</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ब. लातेहार</td> <td>151/1</td> <td>1002</td> <td>0.055</td> </tr> </tbody> </table> राजस्व उप निरीक्षक /अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक..... 21.2.23 को अभिलेख उपस्थापित करें। R. Raj 06.2.23 अंचल अधिकारी, बरवाडीह।	मौजा	खाता नया/पुराना	प्लॉट	रकबा	ब. लातेहार	151/1	1002	0.055	
मौजा	खाता नया/पुराना	प्लॉट	रकबा							
ब. लातेहार	151/1	1002	0.055							
21.2.23	अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री..... राजेश कुमार शर्मा..... पिता/पति..... श्री. राजेश कुमार शर्मा..... साकिन..... लातेहार में दाखिल खारिज वाद संख्या..... 57/11.12 के द्वारा रकबा..... 0.055..... ए० भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-									

